

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
समग्र योजना अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन प्रमंडल-1,
जल संसाधन विभाग, 5वीं मंजिल, जल संसाधन भवन,
अनिसाबाद, पटना।

E-Mail : eeapipd1@gmail.com

भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या (NIQ) – 01/2026–27.

पत्रांक-लेखा/वा० सं०/08-2024-

पटना, दिनांक-...../04/2026.

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निदेशानुसार मुख्य अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं योजना आयोजन, जल संसाधन विभाग, अनिसाबाद, पटना के उपयोग हेतु विभागीय अनुमति के आलोक में एक अर्द्ध निरीक्षण वाहन वातानुकूलित महिन्द्रा स्कार्पियो N /समकक्ष नियत मासिक किराया पर (सभी करों सहित) उपलब्ध कराने हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन इच्छुक वाहन मालिकों/फर्म से अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित किया जाता है। उपलब्ध कराये गए वाहन का परिचालन निरीक्षण वाहन के रूप में परिक्षेत्राधीन प्रमंडलीय/अंचलीय/निदेशालय अधीन योजनाओं के अनुश्रवण, निरीक्षण एवं संबद्ध तथा असंबद्ध विभाग/निदेशालयों से सम्पर्क कार्य एवं उच्चाधिकारियों की बैठकों में भाग लेने इत्यादि कार्यों हेतु सभी कार्यदिवसों (आवश्यकतानुसार अवकाश/रविवार सहित) में किया जाना है।

1. कोटेशन आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथि : दिनांक 27.04.2026
2. कोटेशन जमा करने की अवधि : दिनांक 07.05.2026 को 03:00 बजे अपराह्न तक।
3. कोटेशन जमा करने का स्थान : समग्र योजना अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन प्रमंडल-1, अनिसाबाद, पटना के कार्यालय में।
4. कोटेशन खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक 07.05.2026 को 03:30 बजे अपराह्न में।
5. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : कार्यपालक अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन प्रमंडल-1, अनिसाबाद, पटना।
(मोबाईल नं०- 9472868581)

तकनीकी निविदा शर्त

1. वाहन का वैध वाणिज्य निबंधन पत्र, बीमा, रोड टैक्स, प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं फिटनेस प्रमाण पत्र अद्यतन कोटेशन के साथ समर्पित की जाय।
2. कोटेशनदाता Travel Agency/Firms के रूप में प्राधिकृत संस्थानों द्वारा निबंधित हो तथा पैन, जी० एस० टी० एवं निबंधन-पत्र हो। व्यक्तिगत रूप से वाहन मालिक भी इस कोटेशन में भाग ले सकते हैं, जिनके पास वैध पैन एवं जी० एस० टी० उपलब्ध हो साथ ही आधार कार्ड कोटेशन के साथ समर्पित की जाय।
3. निविदादाताओं को वित्तीय दर निम्नांकित प्रपत्र में देना होगा।

क्रम	वाहन का प्रकार	इंधन रहित मासिक भाड़ा सभी करों यथा GST, IT etc. सहित

नियम एवं शर्तें

1. भाड़े पर वाहन मार्च 2027 तक के लिया जायेगा।
2. वाहन का मॉडल नवीनतम एवं अच्छे हालत में होना चाहिए।
3. वाहन का दैनिक रख-रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मत, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी दैनिक साफ-सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/फर्म द्वारा किया जायेगा। चालक के वेतन का भुगतान आवासन एवं भोजन आदि की व्यवस्था वाहन मालिक/फर्म द्वारा किया जायेगा।
4. नियमानुकूल सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क अदेयता (टोल टैक्स को छोड़ कर) की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
5. वाहन का कागजात टैक्स, बीमा, प्रदूषण आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना चाहिए। प्राथमिकता के आधार पर व्यवसायिक वाहन को वरीयता दिया जायेगा।
6. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैध ड्राइविंग लाईसेन्स होना चाहिए।

9. वाहन के उपयोग के लिए लौगबुक का संधारण वाहन चालक की जबाबदेही होगी, जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेंगे जिसके आधार पर वाहन का मासिक किराया इंधन रहित भुगतान किया जायेगा।
10. मासिक न्यूनतम दर समाहरणालय पटना, पटना जिला नजारत शाखा द्वारा निर्धारित अनुसूचित दर के बराबर या न्यूनतम कोटेशन दाता के साथ रुपये 1000.00 (एक हजार) मात्र के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा किया जायेगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा। सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यक नहीं रहने पर कभी भी बिना बताये एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है।
11. वाहन का वैध निबंधन पत्र, बीमा, रोड टैक्स एवं प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं फिटनेस प्रमाण पत्र वाहन परिचालन के दौरान अद्यतन रखना होगा।
12. आवश्यकतानुसार वाहन का उपयोग दिन एवं रात्री समय में होता है। अतः इस हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क/किराया देय नहीं होगा।
13. वाहन का उपयोग वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता निजी अथवा अन्य व्यवसायिक उपयोग में नहीं करेंगे।
14. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेगा। वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक/फर्म का दायित्व होगा कि वे तुरंत दूसरा वाहन उपलब्ध करायेगें अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उस दिन का भाडे का भुगतान दोगुणा दर से कटौती कर ली जायेगी।
15. यदि किसी कारणवश वाहन मालिक/फर्म वाहन को एकरारनामा अवधि में आपूर्ति नहीं रखना चाहे तो उन्हें एक माह पूर्व कार्यालय को नोटिस करना बाधकारी होगा एवं नोटिस अवधि तक कर्तव्य निर्वहन हेतु एकरारित वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित रखना अनिवार्य होगा।
16. कोटेशन कभी भी बिना कारण बताए अधोहस्ताक्षरी द्वारा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
17. संबंधित मद में आवंटन उपलब्ध होने पर नियमानुसार सभी करो की कटौती के पश्चात भुगतान की जायेगी।
18. अगर सेवा संतोषजनक रहा तो अगले वित्तीय वर्ष में भी सेवा ली जा सकती है। इस हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष में रुपये 1000.00 (एक हजार) मात्र के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा करना होगा।
19. वाहन मालिक/सेवा प्रदाता को वाहन से संबंधित सभी प्रकार के करों अर्थात् GST, Income Tax इत्यादि के भुगतान की देयता स्वयं करना होगा। विभाग/कार्यालय द्वारा मात्र वाहन के उपयोग के विरुद्ध निर्णित मासिक दर से इंधन रहित देय होगा।
20. वाहन का माईलेज वास्तविक रूप से डाले गये इंधन अथवा 10 कि०मी० प्रति लीटर में से जो अधिक हो मान्य होगा।
21. आवश्यकतानुसार वाहन मुख्यालय से बाहर भी जा सकता एवं रह सकता है उक्त हेतु किसी प्रकार का अतिरिक्त राशि के भुगतान का दावा मान्य नहीं होगा।

इच्छुक वाहन मालिक/फर्म उक्त क्रमांक 01 से 21 तक के शर्तों को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ-पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) के साथ समर्पित करेंगे। एक से अधिक समान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर वैध कोटेशनदाता के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/फर्म का चयन किया जायेगा। शपथ पत्र एवं वांछित कागजात नहीं रहने पर कोटेशन अमान्य कर दिया जायेगा।

ह0/-

(ई० शिव बच्चन कुमार)

कार्यपालक अभियंता।

समग्र योजना अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन
प्रमंडल-1, पटना।

पत्रांक-लेखा/वा० सं०/08-2024- 229

पटना, दिनांक-27/04/2026.

प्रतिलिपि:- जन समर्पक पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने निमित्त उपलब्ध कराया जाता है।

अनुलग्नक:- कोटेशन आमंत्रण का हार्ड/सॉफ्ट कॉपी।

Shree
27/04/2026

(ई० शिव बच्चन कुमार)

कार्यपालक अभियंता।